

**सूचना नीलामी दिनांक 30.04.2018 जिला जजी, झांसी।**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2018-2019 हेतु दिनांक 01.04.2018 से दिनांक 31.03.2019 तक के लिये फोटो स्टेट दुकान, जजी परिसर, झांसी ठेका की नीलामी दिनांक 30.04.2018 को समय 4:00 बजे जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा नामित समिति की देखरेख में जिला जजी, झांसी के सभागार में होगी।

**नीलामी के नियम तथा शर्तें इस प्रकार से हैं।**

20. पिछले वर्ष के बकायादार को नीलामी में भाग नहीं लेने दिया जायेगा।
21. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को 20 प्रतिशत सिक्क्योरिटी धनराशि जमा करना होगी और उसे पिछले वर्ष 2018-2019 के ठेके की धनराशि की 20 प्रतिशत होगी।
22. बोली जिनके नाम छूटेगी उसे तत्काल ठेके की सम्पूर्ण धनराशि जमा करना होगी और उसे माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के परिपत्रों की अपेक्षानुसार एग्रीमेन्ट अपने व्यय पर निष्पादित करना होगा।
23. अधिक बोली दाता के पक्ष में ठेका छूटने पर यदि उसके द्वारा तत्काल सम्पूर्ण धनराशि जमा नहीं की जाती तो नीलामी समिति स्वविवेकानुसार अधिकतम बोली के उपरान्त भी बोली बोलने वाले के पक्ष में बोली स्वीकृत कर सकती है और ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति को उसके द्वारा बोली गयी बोली की धनराशि तत्काल जमा करनी होगी।
24. यदि जिस व्यक्ति के पक्ष में बोली छोड़ी गयी अथवा नीलामी समिति द्वारा स्वीकृत की गई उसके द्वारा सम्पूर्ण धनराशि तत्काल जमा नहीं की गयी तो उसकी सिक्क्योरिटी मनी जब्त कर ली जायेगी।
25. सभी वर्तमान विक्रेतागण को नीलामी की शर्तों के अनुरूप बोली में भाग लेने का अधिकार रहेगा।


26. किसी ठेकेदार को स्थाई प्रकृति का निर्माण अथवा अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं होगा तथा देय दुकान उसकी ओर से अन्य किसी को किराये पर उठाने का अधिकारी नहीं होगा।
27. नीलामी में दुकान प्राप्त करने वाले बोलीदाता को निर्धारित स्थान से अतिक्रमण करने पर उसका ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
28. ठेकेदार को दुकान के आस पास सफाई की व्यवस्था स्वयं अपने खर्च पर करना होगी तथा गन्दगी पाये जाने पर उसका ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
29. पान के ठेकेदार तम्बाकू, सिगरेट, बीडी तथा तम्बाकू से निर्मित सामग्री नहीं बेचेंगे इस सम्बन्ध में उन्हें एक अन्डरटेकिंग देनी होगी।
30. ठेकेदार जो खाद्य सामग्री बिक्री करेंगे वह खाद्य अपमिश्रण एक्ट के मानकों के अनुरूप होगी तथा कोई भी ठेकेदार अपमिश्रित खाद्य सामग्री का विक्रय नहीं करेगा।
31. खाद्य वस्तुओं का विक्रय करने वाले दुकानदार वैध कनेक्शन द्वारा एलपीजी गैस का प्रयोग करेंगे और किसी तरह का प्रदुषण नहीं करेंगे तथा अग्नि शमन यंत्र उपलब्ध रखेंगे।
32. किसी भी दुकानदार द्वारा ठेके पर दुकान प्राप्त करने के प्रयोजन के अलावा अन्य किसी कार्य हेतु दुकान का प्रयोग या उपयोग नहीं किया जायेगा और ना ही किसी अवैध कार्य में प्रयोग तथा क्रिया कलाप में संलिप्त रहेगा।
33. ठेका शर्तों के उल्लंघन पर किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के जमा धनराशि जब्त करते हुये ठेका माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा निरस्त किया जा सकेगा तथा ठेकेदार/दुकानदार को अविलम्ब दुकान खाली करके कब्जा वापिस करना होगा अन्यथा दुकानदार/ठेकेदार के खर्च पर दुकान खाली करा ली जायेगी और दुकान पुनः नीलाम/आवंटन योग्य होगी।
34. दुकानदार विक्रय की जाने वाली वस्तु की सूची व मूल्य प्रदर्शित करेंगे तथा खुले व कटे खाद्य पदार्थों की बिक्री नहीं करेंगे।


35. अपराधिक इतिहास वाले किसी भी व्यक्ति को बोली में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। यदि इस तथ्य को छिपाये जाने पर किसी व्यक्ति का ठेका स्वीकृत हो जाता है, तब उसकी जानकारी होने पर ठेका तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा एवं उसके द्वारा जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।


36. ठेके की बोली को स्वीकृत व अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश को होगा तथा उनका निर्णय अन्तिम होगा एवं माननीय जनपद न्यायाधीश को अधिकतम बोलीदाता का ठेका भी बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा।

37. वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर दुकानदार को दुकान खाली कर कब्जा देना होगा अन्यथा वह प्रत्येक अतिरिक्त दिवस हेतु नीलामी राशि के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिकर राशि अदा करने का उत्तरदायी होगा व इसके अतिरिक्त भी वह विधि अनुसार बेदखल होने का पात्र होगा।

38. कार्यालय द्वारा भूमि भवन के अतिरिक्त अन्य कोई सुविधा प्रदान नहीं की जावेगी, विद्युत व जल आपूर्ति की व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं करना होगी।

  
(मनोज पाण्डेय)  
सिविल जज, (सी०डि०)  
जनपद न्यायालय, झांसी।

  
(ओमवीर)  
लघुवाद न्यायाधीश,  
जनपद न्यायालय, झांसी।

  
(शकील अहमद खान)  
विशेष न्यायाधीश (द० प्र० ० क्षेत्र०)/  
प्रभारी अधिकारी (नजारत),  
जनपद न्यायालय, झांसी।